Shri C. R. Narasimhan: It is the general desire of the House that extra-territorial loyalty should not be encouraged. I accept the judgment of the Government and the hon. Deputy Home Minister as to the necessity or otherwise of the Bill. Therefore, I wish to withdraw the Bill and I hope the House will kindly permit me to withdraw it.

Mr. Chairman: Has the hon. Member the permission of the House to withdraw the Bill?

Hon. Members: Yes.

The Bill was by leave, withdrawn

PREVENTION OF JUVENILE VAGRANCY AND BEGGING BILL

Mr. Chairman: The next Bill for consideration is the Prevention of Juvenile Vagrancy and Begging Bill. Shri M. L. Dwivedi.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): After three long years he got the chance.

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : I beg to move:

> "That the Bill to make provision for the prevention of Juvenile vagrancy and begging, be taken into consideration."

यह एक छोटा सा विधेयक है जो कि बच्चों के बारे में है । यह आप भली भांति जानती हैं कि हमारे देश में बच्चों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है । हम जब कभी दूसरे देशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बच्चों के सम्बन्ध में बहुत से कानून बन चुके हैं और बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था की जाती है । लेकिन हमारे देश में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम देखते हैं कि हमारे देश में तरक्की के और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे आबपाशी के लिए बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, खेती की उपज

बढ़ाई जा रही है । लेकिन जो मानवी शक्ति के स्रोत का सबसे बड़ा आधार है, जिससे कि हमारा जीवन लहलहा उठता है, जिससे देश को नेतृत्व मिलता है, उन बच्चों की तरक्की के लिए, उनमें जो बुराइयां फैली हुई हैं उनके निवारण के लिए हम बिल्कुल सुस्त हैं, बहुत ढीले हैं ।

अभी १९५४ में यू० एन० ओ० की जो रिपोर्ट आयी है उसमें लिखा है :

> "India has been rather slow in initiating social welfare measures with regard to juvenile delinquents, neglected, dependent, destitute or victimised children."

यह नहीं है कि ऐसा केवल अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ही ने कहा हो । मेरे पास एक पुस्तक और है जिसका नाम है "रिपोर्ट आन डिलिनक्वेंट चिल्ड्रन एंड जुविनाइल आफेंडर्स इन इंडिया"। यह पुस्तक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित की है । इसमें कहा गया है :

> "A civilized society should be anxious not only to provide reasonable conditions of life and social and cultural facilities for normal children and adults but also give particular attention to those who suffer from any special disabilities. In the past delinquent children and juvenile offenders have often been regarded as if they were hardened criminals, entirely responsible themselves for their anti-social acts and behaviour. However, advances in the field of psychology and a deeper insight into human behaviour have revealed that children often go wrong not because of innate defects in them but because the social and economic conditions under which they are brought up are unsatisfactory and calculated to warp their normal development. In educationally progressive countries, more humane treatment is being meted out to such children, because adults realize that they are themselves largely responsible for the unfortunate twist that is given to their minds."

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

मेरे कहने का आशय यह है कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय भी इस बात को स्वीकार करता है और अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का भी यही कहना है कि हम देश में जहां जाते हैं वहां पर और अगर हम रेलों पर जायं तो छोटे छोटे बच्चे हमको भीख मांगते हुए मिलेंगे और ऐसे ऐसे कार्यों में व्यस्त पाये जाते हैं जिन को कि हम घृणित कहते हैं और जिन्हें कोई भी सभ्य समाज अपने छोटे बच्चों से कराया जाना पसन्द नहीं करता, वह काम हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं।

करीब दो साल हुए मैं ने इस सदन में एक विधेयक उपस्थित किया था जिस का कि नाम आर्फनेजेज बिल था और जो कि अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में था। आज उसको दो साल से ज्यादा होने को आये, अनाथ बच्चों के लिए अभी तक देश में कोई प्रगति नहीं की गई है जब कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र ही इस बिल के जो तमाम प्राविजन हैं, उनको चिल्ड्रेन बिल में शामिल करके देश में चालू कर देंगे और सारे राज्य उसका अनुकरण करेंगे और उससे देश में अनाथों की व्यवस्था ठीक हो जायेगी लेकिन हम देख रहे हैं कि बजाय हालत सुधरने के उलटे और खराब ही हुई है और उनकी हालत आज और अधिक गिर ही गई है। राज्य सरकारों की ओर से उनको कोई खास सहायता नहीं मिलती है और जो संस्थायें इस काम को चला रही हैं, वह उनको व्यवसाय के ढंग पर चला रही हैं और वह बच्चों के जीवन से खेलती हैं। आपको पता है कि दिल्ली में पिछले साल लगभग २०० छोटे छोटे बच्चों को जिन की कि उम्र ६ साल से १४ साल तक थी, वे बाथल हाउसेज में वेश्यालयों में बुरी तरह से पकड़े गये और उस के अन्दर जो लोग उनसे बुरा काम कराते थे, उनसे पुलिस मिली हुई थी। बड़ी मुश्किल से और कुछ लोगों की सतर्कता से उन को पकड़ा गया और वहां से निकाल कर उनको एक विशेष स्थान पर रक्खा गया ताकि उनका सुधार हो सके।

इसके अलावा मैं आपको बतलाऊं कि सोशल वेलफेयर बोर्ड की एक कमेटी जो हैदराबाद गई हुई थी, उसने यह रिपोर्ट पेश की है और जो कि अखबारों में निकली है कि कई हजार बच्चे वहां दासता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे देश में बच्चों की ऐसी बुरी हालत है कि भारतीय संविधान की ४५वीं धारा में यह स्पष्ट लिखा गया है कि दस वर्ष के बाद हर एक चौदह वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। इस तरह आप देखेंगे कि हमारे विधान ने भी माना है कि दस वर्ष की अवधि के बाद चौदह वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी लेकिन आप देखेंगे कि देश में छोटे बच्चों से वह काम लिये जा रहे हैं कि जो उनकी अवस्था के उपयुक्त नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप वे बच्चे बहुत बुरे बुरे फंदों में फंस जाते हैं। उनके वालदैन की, उनके माता पिताओं की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि उनके लालन पालन और शिक्षा आदि की व्यवस्था वह नहीं कर पाते और उनसे ऐसे काम लेते हैं जिनसे वह बचपन में ही कुछ कमा कर लायें और आप जानते हैं कि बच्चे किस तरह से बुरी तरह काम में लगाये जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन के कि मां, बाप तो मर जाते हैं और वह किसी न किसी के अधीन होते हैं, जो उनके गार्जियंस या संरक्षक होते हैं, वे बच्चों को भीख मांगने भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि पैसा मांग कर लाओ, तो बच्चे ऐसे और इसी तरह के बुरे बुरे कामों में भेजे जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि जब कि राज्य की ओर से कोई ठीक व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं होती है तो वह बच्चे बड़े बड़े दुर्गुण सीख लेते हैं। उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए तो हमारे पास समुचित व्यवस्था नहीं है, अलबत्ता बुरी शिक्षा के लिए हमारे देश में तरह तरह के साधन मौजूद हैं, मसलन् सिनेमाओं में जायं, रेलों में जायं और वहां पर भीख मांगें और इस तरह बुरे कामों को सीखें। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है कि वे गरीब बच्चे निशुल्क शिक्षा पा सकें। आज आप

देश के किसी भी भाग में चले जाइये, हर जगह आप पायेंगे कि बच्चों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। आज हमारे देश के नेता इस बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि देश के नौजवानों को देशहित के काम में आगे आना चाहिए और उनको देश की अनेक जिम्मेदारियों को सम्हालना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनकी यह बात बहुत अच्छी और स्वागत योग्य है लेकिन आखिर हमारे नौजवान उन छोटे छोटे नवजात शिशुओं से ही तो बनते हैं और जब तक हम उन नवजात शिशुओं का जीवन सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते तब तक यकीन रखिये कि हमारे देश का जो भावी ढांचा है वह अच्छे और योग्य नेतृत्व में पहुंच ही नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में भविष्य में अच्छा नेतृत्व स्थापित हो तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा, सुधार, उनकी आवारागर्दी और भीख मांगने की प्रवृतियों पर अंकुश लगाना होगा, जिन बुरे कामों में वे आज फंसे हुए हैं, उनसे हमको निकालना होगा।

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट को देखने से ज्ञात होगा कि सन् १९५० में लगभग ५० हजार लड़कों को विभिन्न अभियोगों में सजायें दी गयीं और उन पर मुकद्मे चलाये गये। अब हमारे देश में केवल चार ऐसे न्यायालय हैं जहां पर कि बच्चों के मुकदमे होते हैं। बच्चों के न्यायालय हमारे देश में बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता इन चार जगहों पर हैं और यह जो ५० हजार लड़कों की संख्या बतलाई गई है, वह इन चार न्यायालयों में बच्चों पर चले मुकदमों के आधार पर बतलाई गई है। अब आप अगर देश भर के तमाम बच्चों का ध्यान रख कर हिसाब लगायें तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसे अपराधी बच्चों की तादाद कितनी अधिक होगी। दुर्भाग्य से हमारे पास उस के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं। सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे तमाम बच्चों की संख्या हमें उपलब्ध हो सके ताकि हम लोग सही तौर पर जान सकें कि देश में आज बच्चों की क्या स्थिति है। लेकिन जब हम आज ४ न्यायालयों के आधार पर कहते हैं कि वहां पर ५० हजार बच्चों पर सन् ५० में मुकद्मे चले थे, इस साल की फीगर्स अभी मौजूद नहीं हैं और इसलिए उनको मैं नहीं बतला सकता, लेकिन आप स्वयं अन्दाज कर सकते हैं कि जब केवल चार न्यायालयों में चलने वाले बच्चों की संख्या सन् ५० में ५० हजार पहुंच गयी थी तो आज के दिन अगर आप सारे देश का नकशा अपने सामने रक्खें तो मेरे ख्याल में यह संख्या लाख से भी ऊपर पहुंच जायेगी। आज के दिन हमारे देश में लाखों बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आवारागर्दी करते हैं और परिस्थितियां उनको जुर्म करने के लिए बाध्य कर देती हैं। मुझे इस बात में बड़ा शक है कि हमारे देश की स्थिति सुधर सकेगी जब तक कि हम उन अपने बच्चों की दशा सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते हैं और याद रखिये बच्चों को उस गिरी हुई हालत से न निकालना यह हमारा बड़ा अपराध होगा और जो हमारे देश की भावी पीढ़ी होगी वह कहेगी कि यह लोग पार्लियामेंट में बैठते थे और इन्होंने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, इसीलिए मैं ने सबसे पहले इन अभागे बच्चों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया और अनाथ बच्चों के लिए मैंने एक बिल पेश किया और यह मौजूदा बिल बच्चों की आवारागर्दी और भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में एक कदम है।

मैं आपको बतलाऊं कि जहां हमारे उपाध्यक्ष महोदय रहते हैं, यानी चित्तूड़ में, वहां पर बाला जी का मंदिर है, वहां पर मैं गया था तो मैंने देखा कि कई हजार बच्चे वहां पर भीख मांग रहे थे और भीख मांगने के लिए वह तरह तरह के रंग रूप बनाते हैं, ऊपर से इस तरह के कपड़े पहनते हैं और शरीर रंगते हैं कि मालूम होता है कि हाथ टूटा है अथवा हाथ है ही नहीं, इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि मानो हाथ टूटा है अथवा पैर टूटा है और भीख मांगते हैं और भीख मांग चुकने पर उनका वह टूटा हुआ हाथ या पैर साबुत हो जाता है, इस तरह की जालसाजी वे बच्चे करने पर मजबूर होते हैं ताकि वे लोगों से भीख प्राप्त कर सकें। एक बालाजी के मंदिर

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

में ही यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाइये आपको ऐसे सैकड़ों और हजारों बालक इस तरह भीख मांगते हुए मिलेंगे। आपको रेलगाड़ियों में इस तरह के आवारा घूमते हुए और भीख मांगते हुए बच्चे मिलेंगे और भीख मांगने के अलावा रेलगाड़ियों में जो और चोरी, डकैती के अपराध होते हैं, उनमें भी यह शामिल होते हैं। हमारे गृह मंत्रालय की बड़ी चेष्टा है कि इस देश में डकैती बंद हो जाये और जो और अपराध करने की प्रवृत्ति है वह बंद हो जाय, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि हम रोग का सही निदान करने के बजाय ऊपरी इलाज करते हैं, हम पेड़ के पत्ते तो काटते हैं लेकिन उसकी जड़ पर ध्यान नहीं देते। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर कोई एक विष वृक्ष है, उसके पत्ते तो हम काट दें लेकिन नीचे जड़ में उसको पानी मिलता रहने दें तो वह विष वृक्ष नष्ट नहीं हो पायेगा और वह हमेशा हरा भरा बना रहेगा, ठीक यही चीज इस सम्बन्ध में हो रही है और जब तक इस अपराध रूपी वृक्ष की जड़ में पानी मिलता रहेगा तब तक यह नष्ट नहीं होगा और हरा भरा बना रहेगा, हम ऊपर के पत्ते काट रहे हैं लेकिन जो हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के अपराध करना सीख रहे हैं, उनको सुधारने की ओर सरकार द्वारा सक्रिय कदम नहीं उठाया जा रहा है और जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे नौजवान आगे बढ़ कर देश की जिम्मेदारियां सम्हाल सकेंगे और देश को उन्नति पथ पर अग्रसर कर सकेंगे और यह कैसे आशा कर सकते हैं कि आगे चल कर वह देश के अच्छे और योग्य नागरिक बन सकेंगे। आज मूल आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के यह बच्चे जो देश की बुनियाद हैं उनमें अपराध करने की जो प्रवृत्तियां विद्यमान हैं और दूसरे अवगुण हैं, उन अपराधों और दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए कदम उठाया जाये और मैं समझता हूं कि जब तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता तब तक और सब बातें बिलकुल गलत हैं।

यू० एन० ओ० की रिपोर्ट में दिया हुआ है :

"There are, however, in actual existence very few measures for the prevention of juvenile delinquency and these are found only in major States like Bombay and Madras."

तो प्रिवेन्शन की दिशा में हमारे देश में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया और इस बात को हमारी सरकार तसलीम करती है, यू० एन० ओ० तक में इस का तजकिरा हो गया कि जापान में बड़ी तरक्की हो रही है, फिलिपाइन्स में बड़ी तरक्की हो रही है, एशिया में और सुदूर पूर्व के जो देश हैं वहां पर बच्चों के लिये बड़े अच्छे अच्छे कानून बन रहे हैं और जापान तथा फिलिपाइन्स उस के आदर्श हैं, लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्यों इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे देश के नेता बड़े बुद्धिमान हैं, उन की अक्लमन्दी की चर्चा आज हमारे भारत में ही नहीं, सारे संसार भर में चल रही है। आज इस देश में तरक्की का काम इतनी जल्दी चल रहा है, हमारे देश में दूसरे देशों के बड़े बड़े नेता और प्रधान मंत्री आये, उन्होंने यहां के काम को देखा और आश्चर्य चकित रह गये तथा कहा कि भारतवर्ष में जितना काम पिछले सात, आठ वर्षों में हुआ उतना किसी दूसरे देश में नहीं हुआ, तमाम लोग इस की तारीफ करते हैं, इस की कद्र करते हैं, लेकिन सब से बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि आज हम अपने जीवन में जिस नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है परन्तु आगे क्या होगा। हम भविष्य की बात सोचते ही नहीं हैं। भविष्य में इस देश को गांधियन सिद्धान्तों पर, पंचशील के सिद्धान्तों पर और अहिंसा के सिद्धान्तों पर ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमें आज के बच्चों को किस दिशा की ओर ले जाना है? आज यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों की

अरु दीखियें । आज पटना में क्या हुआ ? बम्बई में क्या हो गया ? लखनऊ में जो पिछले साल विद्यार्थियों का स्ट्राइक हुआ, उस का क्या कारण था ? कारण यह था कि जो हमारी शिक्षा की नीति हैं वह गलत हैं । जब तक हम शिक्षा में परिवर्तन न कर के बच्चों को इनडिसिप्लिन अर्थात् अनुशासनहीनता सिखलाते रहेंगे, तब तक आप समझ लें कि आप के समाज का जो स्तर हैं, समाज का जो ढांचा हैं उस में सुधार नहीं हो सकता हैं । आज जो हमारा वर्तमान नेतृत्व हैं वह चाहे भला से भला काम कर जाय, लेकिन आगे का नेतृत्व हमारे उन नौजवानों पर आना हैं जो आज अनुशासनहीनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । यदि हम उन के सुधार के लिये अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं करते, उन की आवारागर्दी को रोकने की चेष्टा नहीं करते और उन को अपराधों से बचाने का प्रयत्न नहीं करते, तो हमारे देश के यह भावी नागरिक दिन पर दिन गिरते जायेंगे । ऐसी स्थिति में हमारे देश की सरकार का कर्तव्य हैं कि वह इस की ओर ध्यान दे । मैं जानता हूं कि सरकार यह कहेगी कि जेनरल डिलेन्क्वेन्सी को रोकने के लिये, बच्चों के अन्दर की अपराध करने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिये एक चिल्ड्रेन्स बिल बन रहा हैं, वह राज्य सभा में पेश भी किया गया था । लेकिन मैं आप को बतला दूं कि वह जो चिल्ड्रेन्स बिल हैं वह सिर्फ 'ग' भाग के राज्य के लिये बन रहा हैं । बाकी के सूबों के लिये नहीं हैं । साथ ही जो उस के अन्दर धारायें हैं वह इतनी कम हैं कि वह बच्चों की समस्या को हल नहीं कर सकतीं । जो बिल बन रहा हैं वह बच्चों के चोरी करने को और अन्य अपराध करने की प्रवृत्ति को कम करने में कुछ सफल अवश्य होगा, लेकिन उस में बच्चों की आवारागर्दी और भीख मांगने की जो प्रवृत्तियां हैं, उस दिशा में सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिये हैं । इस चिल्ड्रेन्स विधेयक में तो खास तौर से उस का कोई जिक्र नहीं हैं ।

The Parliamentary Secretary to the Minister of Education (Dr. M. M. Das): I would like to know if my hon. friend has read the Children's Bill.

श्री एम० एल० द्विवेदी : उस में चाइल्ड डिलेन्क्वेन्सी तो हैं, लेकिन आवारागर्दी नहीं हैं । मैं ने पूरा बिल देखा हैं, उस में अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकने के मार्ग तो बताये गये हैं, लेकिन आवारागर्दी और भीख मांगने की प्रवृत्ति के ऊपर उस में बहुत कम बातें हैं ।

Dr. M. M. Das: Any boy or girl found begging in a public place or at the door of somebody's house will be taken charge of by the Government. That is there.

श्री एम० एल० द्विवेदी : लेकिन इस बात की क्या व्यवस्था उस में हैं कि उन बच्चों के बारे में रिपोर्ट कौन देगा ? आप को पता चले कि फलां बच्चा अपराध करता हैं, तब सरकार उस को अपने चार्ज में ले सकती हैं, लेकिन इस की कोई व्यवस्था नहीं हैं.......

Dr. M. M. Das: There is that arrangement. I want that my hon. fr[illegible] should read that Bill.

Mr. Chairman: The Bill has already been passed.

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Datar): Passed by the Rajya Sabha. It is now pending here. Did you read the definition of 'neglected child'. That will make it clear.

श्री एम० एल० द्विवेदी : नेगलेक्टेड चाइल्ड वहां हैं । लेकिन नेगलेक्टेड चाइल्ड की मंशा यह हैं कि जिस बच्चे के माता पिता ने उस को छोड़ दिया हो और जिस का कोई संरक्षक न हो । लेकिन उन बच्चों के लिये कौन जिम्मेदार होगा जो गलियों में घूम घूम कर भीख मांगा करते हैं और आवारागर्दी करते हैं, उन के सम्बन्ध में क्या होगा ? जो बच्चे अनाथालयों में हैं वह नेगलेक्टेड चाइल्ड नहीं हैं । लेकिन सरकार की ओर से उन के सुधारने की और अनाथालयों को सहायता देने की कोई सुविधा नहीं हैं । मैं ने अपने क्षेत्र में देखा एक अनाथालय हैं । उस अनाथालय को गांधी जी ने अपने हाथ से खोला था । उस अनाथालय में

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

एक ८५ साल का वृद्ध आदमी है जो वारधा में गांधी जी के साथ रहा है। वही उस अनाथालय का काम सम्भालता है। मैं ने देखा है कि वह गांव गांव में भीख मांगता है और भीख मांग कर अपने अनाथालय के बच्चों को खिलाता है। जिस दिन वह मर जायेगा, उसी दिन वह अनाथलय टूट जायेगा। चूंकि सरकार की तरफ से उसकी सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है, इस लिए वह चल नहीं सकता है। इस देश में इस किस्म के सैंकड़ों अनाथालय होंगे। सरकार उन बच्चों की मां-बाप है। हम लोग कहते हैं--जनता कहती है कि सरकार हमारी मां-बाप है। अगर सरकार हमारी मां-बाप है, तो अनाथ बच्चों की तो वह जरूर मां-बाप है। अगर अनाथ बच्चों की चिन्ता वह न करेगी, तो फिर कौन करेगा ? मां-बाप का फर्ज है कि वे बच्चों की देख-भाल करें। आप कहते हैं कि चिल्ड्रन्ज बिल लायेंगे। मुझे याद है कि १९४९ में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको यह काम सौंपा गया था कि वह इस बात पर विचार करे कि हमारे बच्चों का क्या होना चाहिए। उसने अपनी रिपोर्ट शायद १९४९ के अप्रैल या मई में पेश की।

एक माननीय सदस्य : दिसम्बर में।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हां, दिसम्बर में उसने रिपोर्ट पेश की और उसने सलाह दी कि ये ये काम होने चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल भी बनाया गया। वह बिल बन कर तैयार हो गया और राज्य सभा में पेश किया गया। हो सकता है कि इस सदन में भी वह आए। लेकिन अनाथालयों के बारे में जो बिल १९५२ में पेश किया गया था, आज चौथा साल है, लेकिन उस के बारे में कुछ नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रैस कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो फौरन उसको विचार करने के लिए इस सदन में लाया जाता है। क्यों ? इस लिए कि आप प्रैस से डरते हैं। बच्चे आपको डराने के काबिल नहीं हैं। वे आपको कैसे डरा सकते हैं ? इसी लिए उनसे सम्बन्धित कानून चार साल तक पड़ा रहता है। कम्पनीज बिल भी फौरन आ जाता है, क्योंकि आप पूंजीपतियों से डरते हैं। मैं देखता हूं कि इस किस्म के बिल बड़ी जल्दी यहां पेश हो जाते हैं। बाज दफा आर्डिनेंन्स भी बन जाते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है ? कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस सदन में तीन तीन मर्तबा उस पर विचार हो चुका है। यहां पर सर्वसम्मति से कहा गया कि यह बिल बहुत अच्छा है और इसको मन्जूर करना चाहिए। सरकार के आश्वासन देने पर हम ने बिल वापिस ले लिया। वह चिल्ड्रन्ज बिल इस अधिवेशन में भी--इस सत्र में भी--पास हो सकेगा, मुझे इसमें शंका है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में उसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो देश के भावी नागरिक हैं, जिनके ऊपर भविष्य में देश की जिम्मेदारी आने वाली है, उनके विषय में जब सरकार इतनी असावधान है, इस तरह सस्त है, तो दूसरे कामों में उससे क्या आशा की जा सकती है ? यह ठीक है कि गवर्नमेंट के दूसरे काम भी लाभदायक हो सकते हैं, जिनसे देश तरक्की करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस देश के बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, जिस देश की सरकार बच्चों की चिन्ता नहीं करती, उस देश की स्थिति शोचनीय है।

इस छोटे से विधेयक में मैं ने बहुत छोटी छोटी बातें रखी हैं। मैं ने इसमें कहा है कि जिन माता-पिता या संरक्षकों ने अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया हो--कहां कहां, वह भी लिखा है और मैं अभी पढ़ कर सुनाता हूं--उनको सजा दी जाय। इस बिल में लिखा है :

"....wandering about or begging on trains, in public places, or from door to door by singing songs or otherwise, he as well as his parents or guardian

or protector shall be guilty of committing an offence under this Act."

मेरा कहना यह है कि अगर वे बच्चों को आवारागर्दी करने के लिए या भीख मांगने के लिए छोड़ दें, तो उन पर जुर्म आयद हो जायेगा, और वह अपराध समझा जायगा और उनको सजा दी जायेगी। अगर आप इसको मान लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसी कारण बहुत से माता-पिता और संरक्षक अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : और जिनके पास खाने को नहीं है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिनके पास खाने को नहीं है, उनका इन्तजाम सरकार करेगी, लेकिन इस बिल का अधिकतर सम्बन्ध उन लोगों से है, जिनके पास है और जो फिर भी अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं। मैं जानता हूं कि झांसी में एक व्यक्ति रेलवे में कर्मचारी है। वह खुद नौकरी करता है और बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजता है। वे दिन भर में एक दो रुपए इकट्ठा करते हैं और बाप को दे देते हैं, तब उनको खाना मिलता है। अगर वे कुछ नहीं देते, तो उनको खाना नहीं मिलता है। इस किस्म के सैंकड़ों बच्चे रेलों में मिलेंगे जो वहां भीख मांगते फिरते हैं और उनके माता-पिता और संरक्षक कमाते हैं। इसका कारण यह है कि रेलवे में भीख मांगना बड़ा आसान है। उसमें बच्चे मुफ्त आ जा सकते हैं और लोग समझते हैं कि गरीब हैं, इनको कुछ दे दो। इस लिए मैं समझता हूं कि जब तक हम इस प्रथा को कानूनन बन्द नहीं करेंगे, इस के लिए कोई सजा नहीं मुकर्रर करेंगे, तब तक वह बन्द नहीं होगी। यही छोटी सी बात मैं ने यहां रेज की है—कोई बहुत बड़ी बात रेज नहीं की है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के द्वारा बच्चों से ऐसे अपराध कराए जाते हों, उनको सजा दी जाय। अगर सरकार इसको मान लेती है, तो मेरे ख्याल में यह बहुत अच्छा होगा।

मेरे पास बच्चों के सम्बन्ध में बहुत सा मसाला है। मैं यह जानता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है, जिसमें सदन के बहुत से सदस्य दिलचस्पी रखेंगे और इस के बारे में बोलना चाहेंगे। इस लिए मैं यह चाहता हूं कि इसके पहले कि मैं इस बारे में और प्रकाश डालूं, यह अधिक अच्छा होगा कि दूसरे सदस्यगण भी अपने विचार प्रकट करें और अगर मैं ने कोई बात गलत कही हो, तो उसको साफ कर दें। उसको मैं स्वीकार करूंगा। मेरी मंशा केवल यह है कि इन बच्चों के सम्बन्ध में आप अवश्य कोई उपाय करें। वह अगर आप अपने बिल में कर रहे हैं, तो अच्छा है। प्रश्न यह है कि अब आगे क्या करेंगे ? मेरा विचार है कि इस बीच उसको फिर राज्य सरकारों के पास विचार करने के लिए भेज दीजिए। इस बीच में जो इन के विशेषज्ञ हैं, जो अनाथालयों को चलाने वाले हैं, जो उन के संरक्षक हैं उन की राय मांगनी चाहिये और उन से यह पूछना चाहिये कि जो बिल बना है और इस में जो धारणा हम ने बनाई है उस में वे लोग और कितना सुधार चाहते हैं। मैं यह इसलिये जरूरी समझता हूं क्योंकि बच्चों के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें हम कर सकें उतना ही अच्छा है। जो बिल हमारे सामने आया है उस में बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं और उन त्रुटियों व कमियों को हमें दूर करना चाहिये। इस लिए इस बारे में आप राज्य सरकारों से राय लीजिये, विशेषज्ञों से राय लीजिये और राय लेने के बाद इस बिल को अन्तिम रूप दीजिये और फिर अगले सेशन में, अगले सत्र में, इस बिल को पास करवाने के लिए शीघ्रतापूर्वक कदम उठाइये। यदि सरकार यह करती है तब तो मैं समझूंगा कि सरकार की मंशा ठीक है नहीं तो मुझे सरकार की मंशा पर शक ही होगा।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to make provision for the prevention of juvenile vagrancy and begging, be taken into consideration."

Dr. Rama Rao (Kakinada): I am glad that this Bill brings forth a serious problem before the House which exists in this country today, but I do not agree with the provisions of the Bill—but that is secondary. The main problem is about children and particularly orphans, which the State has been neglecting, and criminally neglecting, and if anyone has to be sent to jail according to this Bill I think the State represented by the Home Minister ought to be sent to jail; because there is nothing more intolerable than to find the State ignoring the care of children in general and the orphans in particular. I feel very strongly, Madam, as you and many other Members of this House feel about this question of orphans.

We are a welfare State; that is very good. We have been spending crores of money on many institutions and many show places. Take for instance the city of Delhi. You are spending nearly Rs. 25 lakhs on the New Delhi railway station which is merely for show and there is not so much of immediate urgency about it; but when you want to spend money on an orphange—say 5 or 10 lakhs of rupees—you have no money. Take this postage stamp exhibition on which the Government has spent Rs. 10 lakhs whereas they could have built a beautiful orphange with that money. Today in answer to a question one of the Ministers said that Rs. 57 lakhs was being spent on building a hostel. Of course, hostels are very important but still when you want an orphange you have no money. You have written off Rs. 72 crores as far as Burma is concerned—Rs. 48 crores debt and Rs. 24 crores accumulated interest under one name or another; I do not want to go into the details. By all means be liberal to good friends like Burma; but when I think of our orphans fighting with dogs for a morsel of food and begging in the streets I consider that our Government—I am not speaking as a member of the Opposition—is criminally neglecting our children and we are responsible for this. Therefore, the State should realise that the responsibility of children in general and orphans in particular is its first charge and then only it should look after show places and other things. The sooner the State realise this the better. My hon. friend Shri M. L. Dwivedi has raised the issue about these orphans but he did not bring it out in a sufficiently strong way. I wish a law is passed so that no orphans are allowed to be left uncared for and the State must be made responsible for it. Every district in the country requires an orphanage. At present how many orphanges are there? Probably, there are a few in U. P. and one or two here—I am speaking of the orphanages run by the State. I do not blame the orphans for begging. It is the State which should realise its responsibility. It should realise that its first responsibility is to spend the money on the orphans first and then see to other things. I consider the care of orphans as very important and it is very necessary that the State takes up this subject.

There is the Social Welfare Board but it does not run even a single orphanage. It gives charity; distributes money all over the country, but does not run even a sigle orphanage. I know one institution which cares for the orphans and which gets some contribution from the Central Social Welfare Board. The boys of that institution get into buses in a sing-song way and beg. They beg from one end of the town to the other end. In this Bill it is said that the children who beg and their guardians must be punished. I think that such orphanages as well as the Central Social Welfare Board which contributes to that orphanage must be all prosecuted under this Bill. I certainly support it. Therefore, unless we do something more seriously and more systematically and see that the State takes up the job nothing can be achieved. By 'State' I mean the Central Government and the State Governments combined. The States should start orphanages at least one in each district.

otherwise this problem cannot be solved.

Combined with this problem there is the question of prostitution. Most of the prostitution houses get their recruits from orphans and neglected children. Unless you give protection to the neglected children, naturally, they have to fight for their food. You cannot expect them to commit suicide, though some of them do. They will try all sorts of means to earn a living including prostitution. On a previous occasion I referred to a judgement of the Madras High Court where the father killed his two sons due to extreme poverty. He could not tolerate the sufferings of his children and therefore he stabbed them to death. On that case the High Court recommended clemency. This was a very strange case. It is not that all fathers can kill their children because they are not able to see them suffer due to poverty. They send their sons and daughters for begging.

Therefore, what I mean to say is that, in a country where the children have to fight with dogs for a morsel of food; where orphans are neglected and are not taken care of, the State is criminally—I repeat it—neglecting its duty by not providing the necessary institutions. I am not satisfied if the State gives Rs. 2000 or Rs. 10,000 or even Rs. 1 lakh to this or that institution. Of course, there are institutions which are doing very creditable work all over the country; but there are more institutions which are doing this work in a slip-shod manner. But, apart from this, my charge —I repeat it a hundred times—is against the State for neglecting its duty and not taking care of the orphans in particular and the children in general. You know we have to care for our children like the apple of our eye. But, in this country, unfortunately, the children are the most neglected section of society.

Now, I want to refer to our Prime Minister's birth day which is celebrated in Delhi and other places. It is good. I like it. The Prime Minister's birth day should be associated with children; but, unfortunately, the whole thing becomes a show. I would like to have Chacha Nehru to be Chacha Nehru of the orphans. Every State should present Chacha Nehru with an orphanage on our Prime Minister's birth day and there should not simply be a show of roses and other things. It is not that I am opposed to it but we must do something more substantial and more real in the case of our children. If you associate with our hon. Prime Minister's name the care of children about which, we all know, he is very much interested, then something more substantial should be done. Therefore, I am sure, the hon. the Deputy Home Minister will find some means of giving directives to the States that orphanages should be started, at least one in each district and presented to the Prime Minister on his next birth day.

6 P.M.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): He will spend money on police.

Mr. Chairman: Does the hon. Member want to continue for some more time? It is already six o'clock.

Dr. Rama Rao: Yes.

Mr. Chairman: Then he may continue on the next day.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 20th August, 1955.